न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

रसद अपील संख्याः 03/2021

दायर दिनांकः 21.12.2021

निर्णय दिनांक 07.03.2022

—:अनवानः—

श्री नारायण लाल गुर्जर पिता श्री मांगीलाल जी, जाति गुर्जर, आयु व्यस्क निवासी भचरड़िया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

—— अपीलाण्ट

—:: बनाम ::—

श्रीमान जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द **—— रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्ध आदेश द्वारा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द मुकदमा नम्बर 54/2020 आदेश दिनांक 12.04.2021 बअनवान सरकार बनाम श्री नारायणलाल गुर्जर

उपस्थितः—

1— श्री जगदीश पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द के द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.04.2021** मुकदमा नम्बर 54/2020 अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.12.2021 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुने मनमकसूद तरीके से काल्पनिक आधारो पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पर्चा मौका बनाकर अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से बिना प्रार्थी को सुने अवैध रूप से अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 47/2018 को निरस्त कर दिया एवं मनमकसूद तरीके से अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश कर दिया जिससे दुःखी एवं पीडीत होकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील पेश की है जिसे स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.04.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेंट को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये सम्मन् सूचित किया गया। जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम मयाद प्रार्थना पत्र का विनिश्चयन किया जाता हैं। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत दफा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश की पूर्व में जानकारी नही रही थी, अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में जाकर आक्षेपित आदेश की जानकारी चाही, तो अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा कहा गया कि निर्णय/आदेश आपके विरूद्ध हो गया है तब उस आदेश की जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने उसी दिनांक 14.12.2021 को नकल की दरख्वास्त अधिनस्थ न्यायालय में पस्तुत की एवं नकल प्राप्त होते ही विधिक सलाहकार से सलाह लेकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में अपीलांट ने कोई विलंब कारित नहीं किया है। विलंब के लिये धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। संपूर्ण भारत वर्ष में कोरोना 2019 महामारी के प्रकोप होने से राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी से बचने के लिये लोकडाउन घोषित किया गया। जिसके कारण 19 अप्रेल, 2021 से न्यायिक कार्यवाहीयॉ नहीं हो सकी है। लॉकडाउन के कारण उक्त अपील पेश नहीं होने से एवं सुनवाई नहीं होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में संज्ञान लेकर अनुच्छेद 141 भारतीय संविधान के तहत यह आदेश पारित किया है कि लॉकडाउन के कारण जिन प्रकरणों में अपील/वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके, उनकी मियाद स्वतः ही माफ करने के आदेश पारित करते हुए उक्त प्रकरणों में मियाद में माने जाने के आदेश पारित किये गये है, जो Suo moto बनाम भारत संघ रिट सिविल नंबर 03/2020 आदेश दिनांक 20.03.2020 को पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश समस्त अधिनस्थ न्यायालयों के लिये बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में कानूनन मियाद माफी का प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। मियाद स्वतः ही माफ हो चुकी है। उक्त अपील को मयाद मे शुमार कराने का आदेश फरमाया जावें।

पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान यह बताया कि अपीलांट की ओर प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार कराये जाने के लिए दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, वह सारे तथ्य मनगढंत एवं झूठे होकर बनावटी रुप से तैयार कर वर्णित किये गये हैं। वास्तविक स्थिति यह हैं कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट के विरुद्ध प्रारम्भ की गयी विभागीय जांच कार्यवाही में स्वयं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.08.2020 को उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु अवसर चाहे जाने पर अवसर प्रदान किया परंतु अपीलांट द्वारा दिनांक 24.08.2020 को ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा नोटिस के जवाब में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि मेरे द्वारा विगत छः माह के दौरान पॉस मशीन द्वारा वितरण की गई समस्त चीनी उपभोक्ताओं में वितरण कर दी गई थी, केवल 06 उपभोक्ता को कोविड–19 के दौरान राशन हॉम डिलेवरी करने से तत्कालीन रूप से चीनी उपलब्ध करवाई नहीं जा

सकी थी। इस पर उक्त छः उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध करवा दी गई हैं। मेरे द्वारा चीनी वितरण करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है, मेरे द्वारा उपभोक्ता को कोविड–19 के दौरान राशन हॉम डिलेवरी के दौरान पॉस मशीन में पेपर रोल नहीं होने से गेहूं के साथ चीनी का वितरण भी हो गया था, जिस पर मेरे तकनीकी जानकारी करने पर उक्त तथ्य सामने आने पर मैंने तुरंत अवशेष स्टॉक मे से लेवी चीनी उपभोक्ताओं को वितरण कर दी गई थी, जिसके प्रमाण स्वरूप उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवायी गई लेवी चीनी की प्राप्ति सूची संलग्न है। मेरे द्वारा प्रतिमाह निर्धारित अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकान खोली जाकर नियमित वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे विरूद्ध आज दिनांक पूर्व कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। मेरे द्वारा जानबुझकर कोई अनियमिता नहीं की गई है। भविष्य में कोई गलती नहीं करने का उल्लेख करते हुए विभागीय कार्यवाही ड्रॉप कर प्राधिकार पत्र बहाल करने हेतु अनुरोध किया है। पैरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान बताया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित लेनी चीनी का उठाव कर लक्षित उपभोक्ताओं से गेहूं वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन करवा कर लेवी चीनी का भी ऑन लाइन ट्राजेक्शन वितरण दर्शाया गया है जबकि एक भी अन्त्योदय परिवार को लेवी चीनी का वितरण नहीं किया गया। लेवी चीनी वितरण नहीं करने बाबत दिनांक 25.07.2020 को समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के पश्चात् अप्रार्थी द्वारा पहले तो तकनीकी समस्या का हवाला देकर आमजन को गुमराह किया। तत्पश्चात् लोगो को घर–घर जाकर बाजार से चीनी क्रय कर वितरण प्रारंभ किया गया। अप्रार्थी द्वारा माह में अधिकांश समय दुकान बंद रखने, उपभोक्ताओं से अभ्रद व्यवहार करने की उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज कराना फरमावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं कि विभागीय जांच कार्यवाही के दौरान अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ और उसके द्वारा जवाब दिनांक 24.08.2020 को पेश किया गया व आगामी पेशी दिनांक 29.09.2020 को दी गयी और उक्त नियत पेशी के बाद स्वयं अपीलांट ही बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ हैं। तत्पश्चात आक्षेपित आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से यह कथन किया जाना कि प्रार्थी को बिना सुने मनमकसूद तरीके से काल्पनिक आधारो पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पर्चा मौका बनाकर अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से बिना प्रार्थी को सुने अवैध रूप से अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 47/2018 को निरस्त कर दिया, जो न्यायसंगत नही हैं। अपीलांट को अपनी पैरवी में स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहना था। अपीलांट ने दिनांकः 14.12.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में जाकर आक्षेपित आदेश की जानकारी चाही, तो अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा कहा गया कि निर्णय/आदेश आपके विरूद्ध हो गया है, की जानकारी होना व इसके पश्चात नकल आदेश निकलवाये जाने का वर्णित तथ्य भी भ्रामक हैं। फिर भी न्यायहित में मामले के गुणागुण पर विचार किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2021 को पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभागीय जांच की गयी स्वयं अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब पेश किया है। अपीलार्थी का यह तथ्य आधारहीन है कि उसे उक्त आदेश की जानकारी

दिनांक 14.12.2021 को हुई हो क्योंकि रसद की दुकान में सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह रसद का वितरण किया जाता है और यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त होने के बाद उसके द्वारा उक्त दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है। इससे यह प्रमाणित है कि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे की उसे उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर नही दिया हो। अपीलार्थी का मामला आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)